

मध्यप्रदेश शासन
वाणिज्य, उद्योग और रोजगार विभाग
मंत्रालय, भोपाल

:: आदेश ::

भोपाल दिनांक 02.04.2016

क्र. एफ 16-17/2015/बी-ग्यारह: राज्य शासन द्वारा निर्णय लिया गया कि मेसर्स बीना पावर सप्लाय कम्पनी लिमिटेड का बीना, जिला सागर में थर्मल पावर प्लांट की परियोजना में व्यावसायिक उत्पादन की समयावधि में वृद्धि सम्बन्धी अभ्यावेदन पर ताप विद्युत संयंत्रों को उद्योग का दर्जा प्रदान करने सम्बन्धी शासन के निर्णय की प्रभावशील अवधि दिनांक 31/3/2011 होने के दृष्टिगत कम्पनी की परियोजनान्तर्गत प्रथम इकाई में वाणिज्यिक उत्पादन की तिथि में 31 अगस्त, 2012 तथा द्वितीय इकाई में वाणिज्यिक उत्पादन की तिथि में 30 अप्रैल, 2013 तक वृद्धि की जाती है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से

तथा आदेशानुसार

(मोहम्मद सुलेमान)

प्रमुख सचिव

मध्यप्रदेश शासन

वाणिज्य, उद्योग और रोजगार विभाग

भोपाल, दिनांक 02-04.2016

क्रमांक एफ 16-25/2015/बी-ग्यारह
प्रतिलिपि,

1. प्रमुख सचिव (समन्वय), मध्यप्रदेश शासन, मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय, भोपाल।
2. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग/ वाणिज्यिक कर विभाग/ऊर्जा विभाग, मंत्रालय, भोपाल
3. उद्योग आयुक्त, मध्यप्रदेश, भोपाल।
4. प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश ट्रेड एण्ड इन्वेस्टमेंट फेसिलिटेशन कॉर्पोरेशन लि., भोपाल।
5. अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता, मेसर्स बीना पावर सप्लाय कम्पनी लिमिटेड, बीना जिला सागर

- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

उप सचिव

मध्यप्रदेश शासन

वाणिज्य, उद्योग और रोजगार विभाग